रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1971/पौष 11, 1892
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1971/PAUSA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th December 1970

S.O. 101.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951 and in supersession of its notification No. 4(1) DL/65 dated the 1st December 1966, the Election Commission hereby designates for each of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, and specified in column 1 of the Table below, the officer mentioned in the corresponding entry in column 2 of that Table to be the Returning Officer:—

TABLE

Name of the constituency	Returning Officer
1	2
1. New Delhi	Additional District Magistrate (South), Delhi.
2. South Delhi	Additional District Magistrate (South), Delhi.
3. Outer Delhi	Additional District Magistrate (Revenues), Delhi.

1	2
4. East Delhi.	Additional District Magistrate (North), Delhi.
5. Chandni Chowk	Additional District Magistrate (Central), Delhi.
6. Delhi Sadar	Additional District Magistrate (North), Delhi.
7. Karol Bagh (SC)	Additional District Magistrate (Central) Delhi.

[No. 434/DL/70]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 101:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना संख्या 434/दिल्ली/66, तारीख 1 दिसम्बर, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आफिसर को रिटर्निंग आफिसर अभिहित करता है ।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. नई दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), दिल्ली ।
2. दक्षिणी दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), दिल्ली ।
3. बाहरी दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), दिल्ली ।
4. पूर्वी दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर), दिल्ली।
5. चांदनी चौक	अपर जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय), दिल्ली ।
6. दिल्ली सदर	अपर जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर), दिल्ली ।
7. करौल बाग (अ० जा०)	अपर जिला मजिस्ट्रेट) (केन्द्रीय), दिल्ली ।

[सं० 434/दिल्ली/70]

S.O. 102.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, and in supersession of its notification No. 434/DL/66(1) dated the 1st December, 1966, the Election Commission here by appoints, in respect of each of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, and specified in column 1 of the Table below, the officers specified in the corresponding entries in column 2 of the said Table to assist the Returning Officer in the performance of his functions:—

TABLE

Name of the constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. New Delhi	1. Sub-Divisional Magistrate (Chanakya Puri), New Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Parliament Street), New Delhi.
2. South Delhi	1. Sub-Divisional Magistrate (Lajpat Nagar), New Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Hauz Khas), New Delhi.
3. Outer Delhi	1. Sub-Divisional Magistrate (Civil Lines), New Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Panjabi Bagh), Delhi. 3. Revenue Assistant, Delhi.
4. East Delhi	1. Sub-Divisional Magistrate (Shahdara), Delhi. 2. Shri H. D. Birdi, Extra Magistrate 1st Class, Delhi.
5 Chandni Chowk	1. Sub-Divisional Magistrate (Kotwali), Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Kamla Market), Delhi.
6. Delhi Sadar	1. Sub-Divisional Magistrate (Sadar), Delhi. 2. Shri K. L. Gupta, Extra Magistrate 1st Class, Delhi.
7. Karol Bagh (SC)	1. Sub-Divisional Magistrate (Darya Ganj), Delhi. 2. Sub-divisional Magistrate (Patel Nagar), Delhi.

[No. 434/DL/70(1)]

एस० ओ० 102:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/66 (1), तारीख 1 दिसम्बर, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक की बाबत, रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसरों को नियुक्त करता है।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. नई दिल्ली	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (चाणक्यपुरी), नई दिल्ली ।
	2. उपखंड मजिस्ट्रेट (पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली ।
2. दक्षिणी दिल्ली	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (लाजपत नगर), नई दिल्ली ।
	2. उपखंड मजिस्ट्रेट (हौज खास), नई दिल्ली ।
3. बाहरी दिल्ली	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन्स), दिल्ली ।
	2. उपखंड मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग), दिल्ली ।
	3. राजस्व सहायक, दिल्ली ।
4. पूर्वी दिल्ली	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (शाहदरा), दिल्ली ।
	2. श्री एच०डी० बिरदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दिल्ली ।
5. चांदनी चौक	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (कोतवाली), दिल्ली ।
	2. उपखंड मजिस्ट्रेट (कमला मार्किट), दिल्ली ।
6. दिल्ली सदर	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (सदर), दिल्ली ।
	2. श्री के० एल० गुप्ता, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दिल्ली ।
7. करोल बाग (अ० जा०)	1. उपखंड मजिस्ट्रेट (दरियागंज), दिल्ली ।
	2. उपखंड मजिस्ट्रेट (पटेल नगर), दिल्ली ।

[सं० 434/दिल्ली/70(1)]

S.O. 103—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri J.O.G. Russell, Election Officer, Delhi, as Assistant Returning Officer for all the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, in addition to the Officers appointed by its notification No. 434/DL/70(1), dated the 30th December, 1970.

[No. 434/DL/70(2)]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

एस० ओ० 103.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री जे० ओ० जी० रसल, निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/70 (1), तारीख 30 दिसम्बर, 1970 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है।

[संख्या 434/दिल्ली/70(2)]

आदेश से,

रोशन लाल,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971